न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी – सुश्री गरिमा लाटा (आर.ए.एस)

प्रा0 प0 संख्या 57 / 2019

1. मुकेश पुत्र बसन्त जाति गुसाई निवासी ग्राम लखीपुरा पुरोहित का बास तहसील व जिला सीकर

–प्रार्थी–

बनाम

1. बसन्त पुत्र गिरधारी जाति गुसाई निवासी ग्राम लखीपुरा पुराहित का बास तहसील व जिला सीकर ।
2. उप पंजीयक सीकर
3. तहसीलदार, सीकर
4. विनोद कुमार पुत्र बसन्तपुरी जाति गोस्वामी निवासी ग्राम लखीपुरा तहसील व जिला सीकर

– अप्रार्थीगण –

आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित –वकील प्रार्थी– श्री कैलाश स्वामी
वकील अप्रार्थीगण संख्या 1 व 4 – श्री बनवारीलाल बरवड़, श्री राधकृष्ण स्वामी

निर्णय

दिनांक : 5.8.2022

वकील प्रार्थी ने एक दावा उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का मय आवेदन 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया । आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम लखीपुरा तहसील व जिला सीकर की तन में पैतृक कृषि भूमि खसरा नम्बर 2085, 2724 / 2084 किता 2 कुल रकबा 2.43 है0 जिसके पुराने खसरा नम्बर 2084, 2085 व 2091 थे जिसका कुल रकबा 4.86 है0 था जो पूर्व में प्रार्थी के दादा के नाम से थी। जिसमें प्रार्थी के पिता के हक हिस्से का खाता अलग होकर वादग्रस्त नये खसरा नम्बर अंकित हुऐ है। प्रार्थी व अप्रार्थी एक ही पूर्वज गिरधारी के वंशज है। वादग्रस्त आराजी पूर्व में गिरधारी के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकित रही है।

विवादित अराजी पैतृक होने के कारण प्रार्थी अपने पिता के हक हिस्से की खातेदारी पर संयुक्त रूप से काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं। प्रार्थी का पिता वर्तमान में उससे नाराज चल रहा है तथा अपने नाम खातेदारी का नाजायज फायदा उठाकर वादग्रस्त भूमियों को विक्रय करने पर आमादा है। पैतृक सम्पतियों में पिता के जीवनकाल में ही उनके पुत्रों व पुत्रियों का पिता के समान ही हक व अधिकार हो जाता है। इसलिये प्रार्थी अपना 1/5 हिस्सा उद्घाधित करवाने का अधिकारी है। अप्रार्थी संख्या 1 अपने नाम खातेदारी का गलत फायदा उठाकर विक्रय करने पर आमादा है दिनांक 2.7.2019 को वह अपने साथ 2–3 व्यक्तियों को लेकर वादग्रस्त भूमियों पर आये तथा उसका सौदा करने लगे। प्रार्थी द्वारा तरराज करने पर लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हो गये। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह प्रार्थी की भूमि को अन्य हस्तान्तरण नहीं करें तथा उसके उपयोग उपभोग में बाधा डालने से बाज रहें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर रिपोर्ट राजस्व लिपिक ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। जिस पर अप्रार्थी संख्यां 1 व 4 जरिये वकील उपस्थित रहे। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 उपस्थित नहीं रहे इसलिये इनके खिलाफ कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 1 व 4 ने जवाब प्रस्तुत किया। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जवाब में प्रार्थी के कथनों का खण्डन करते हुऐ अंकित किया कि विवादित भूमियों में प्रार्थी का कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। प्रार्थी ही काश्त करता चला आ रहा है इसलिये संयुक्त रूप से काबिज काश्त होने का कथन गलत है। प्रार्थी अकसर बिमार रहता है प्रार्थी को बिमारी का खर्चा वहन करने के लिये कहा तो इन्कार हो गया तथा झूंठा वादकारण पैदा करके दावा पेश किया गया है। अपने विशेष कथन में अंकित किया कि जवाबदाता विवादित भूमियों का खातेदार काश्तकार है। जिस पर वह लगातार काबिज काश्त है। जवाबदाता गरीब व बिमार व्यक्ति है जिसका नाजायज फायदा उठाकर अपासी विवाद बढाकर उसे मिलने वाली सरकारी सहायता से वंचित रखने के लिये यह दावा व प्रार्थना नपत्र पेश किया गया है। प्रार्थी ने भूमियों को रहन मुक्त किया तथा परिवार में रूपयों की आवश्यकता होने के कारण पुनः रहन रखना चाहता है परन्तु स्थगन होने के कारण इसलिये वह ऋण भी नहीं ले सकता है। जवाबदाता की भूमियों को बिना किसी कारण में स्थगन से प्रतिबंधित किया गया है जो किसी भी दृष्टि से न्यायसंगत नहीं है। अतः आवेदन मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थी संख्या 4 ने अपने जवाब में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया एवं काउण्टर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराया जाकर अप्रार्थी संख या 1 को पाबन्द किये जाने का निवेदन किया।

बहस वकील उभयपक्ष सूनी गई जो मुताबिक आवेदन, जवाब आवेदन रही। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस के तर्को एवं प्रार्थना पत्र के कथनों के समर्थन में डीएनजे 2002 (2) पेज 1357, पेज 804, आरआरएल 1998 पेज 12, आरआरडी 1993 पेज 206, आरआरसी 1997 पेज 14 एवं आआरडी 2005 पेज 363 की नजीरे प्रस्तुत की। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड आदि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन के निर्णय के लिये तीन बिन्दुओं प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णित क्षति पर विचारण किया जाता है। जो निम्न प्रकार से हैं–

1. **प्रथम दृष्टया मामला–** प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबंदी के अनुसार खसरा नम्बर 2085 व 2724/2084 किता 2 कुल रकबा 2.4300 है0 की खातेदारी बसन्त पुत्र गिरधारी जाति गुसाई के नाम दर्ज है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 4 के पुत्र हैं। प्रार्थी संख्या 1 अपने प्रार्थना पत्र के जरिये व अप्रार्थी संख्या 4 ने अपने काउण्टर प्रार्थना पत्र के जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्व चाही है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 4 का अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि में नोशनल शेयर उसके जिवित रहते हुऐ भी है। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जवाब में भूमियों को विक्रय करने बाबत कोई कथन नहीं किया है। केवल मात्र भूमि को रहन रखने बाबत कथन किया है। इस प्रकार प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 के काउण्टर आवेदन में प्रथम दृष्टया मामला बनता है।
2. **सुविधा का संतुलन** – प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 4 अप्रार्थी संख्या 1 के जायन्दा पुत्र है जिनका इस भूमि पर नोशनल शेयर होने के कारण सुविधा का संतुलन भी इनके पक्ष में है।
3. **अपूर्णिय क्षति** – विवादित भूमियों को यदि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा विक्रय की जाती है तो निश्चित रूप से अपूर्णिय क्षति प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 4 को होगी ।
4. **निष्कर्ष–** उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 4 का आवेदन अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट का स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे तादौराने वाद विवादित भूमि खसरा नम्बर 2085 एवं 2724/2084 किता 2 कुल रकबा 2.43 है0 वाके ग्राम लखीपुरा तहसील व जिला सीकर की भूमि को तादौराने वाद विक्रय नहीं करें। प्रार्थी भूमियों को रहन रखने के लिये स्वतत्र है।

निर्णय आज दिनांक 5.8.2022 को खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर से सुनाया ।

5/8/22

(गरिमा लाटा)
उपखण्ड अधिकारी, सीकर